श्री संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी, सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–13.11.2024 को विभागीय अभियंताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :

(i) मो० तारिक इकबाल, विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।

(ii) श्री सुशांत कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।

(iii) श्री सुनील कुमार, मुख्य अभियंता, यो०+अनु०+भूगर्भ, लघु जल संसाधन विभाग।

(iv) मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना एवं मुजफ्फरपुर।

(v) श्री सुभाष चन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग।

(vi) अधीक्षण अभियंता, सभी लघु सिंचाई अंचल।

(vii) कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल।

(viii) श्री रंजीत मंडल, कार्यपालक अभियंता (मु०) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग।

2. जल जीवन हरियाली अभियान, RIDF, हर खेत को पानी एवं राज्य योजनांतर्गत वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा आवंटित राशि एवं व्यय की समीक्ष्ज्ञा की गई। बांका जिले में आवंटित राशि का व्यय सबसे कम–46%, कैमूर–62%, 46%, अररिया–72%, लखीसराय एवं बेगूसराय–83%, शेखपुरा–86% है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि योजनाओं में कार्यों के विरूद्ध नियमानुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, संबंधित लघु सिंचाई प्रमंडल)

3. RIDF अंतर्गत वर्ष 2019–20 में स्वीकृत जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2019–20 से लेकर अब तक कुल 2192 योजनाएं स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1979 योजनाएं पूर्ण हैं तथा इनमें से 1519 योजनाओं का PCC अब तक NABARD को प्रेषित किए गए हैं इनमें 745 योजनाओं का PCR भेजा गया है एवं 1091 योजनाओं का PCR भेजा जाना शेष है। इन योजनाओं में से 931 योजनाओं में लघु सिंचाई प्रमंडलों को राशि आवंटित किया जाना है। कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि रॉयल्टी के issue को समाहित करके राशि आवंटन हेतु अधियाचना विभाग को भेजें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, संबंधित लघु सिंचाई प्रमंडल)

4. हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गई। जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में लघु सिंचाई प्रमंडलों के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा इस

योजना के प्रगति के संबंध में निम्नवत प्रतिवेदित किया गया, जिसके आलोक में निम्नांकित निदेश दिए गए–

क्र० सं०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक स्वीकृत योजनाओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता का प्रतिवेदन एवं निदेश
1	2	3
1	पटना	इस प्रमंडल में 76 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 28 योजनाएं अपूर्ण हैं। इनमें वर्ष 2021–22 में 4 योजनाएं, 2022–23 में 7 योजनाएं एवं 2023–24 में 17 योजनाएं अपूर्ण हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 2 योजनाओं के संवेदक को डिबार किया गया है।
2	नालंदा	इस प्रमंडल में 27 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 13 योजनाएं अपूर्ण हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 में 1 योजना, 2022–23 में 1 योजना तथा 2023–24 की 9 योजनाएं अपूर्ण हैं। वर्ष 2023–24 की 8 योजनाओं में कार्य हाल में प्रारंभ हुआ है।
3	कैमूर	इस प्रमंडल में 51 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 योजनाएं अपूर्ण हैं। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 2023–24 में स्वीकृत योजनाओं में ही योजनाएं अपूर्ण हैं।
4	औरंगाबाद	वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की योजनाएं पूर्ण हैं। वर्ष 2023–24 में स्वीकृत 22 योजनाओं में से 7 योजनाएं अपूर्ण हैं।
5	गया	संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 की 1 योजना में कार्य अपूर्ण हैं, जिनमें लगभग 80 प्रतिशत कार्य हुआ है एवं पक्का नाला एवं ढलाई का कार्य शेष बचा है। निदेश दिया गया कि निर्धारित अवधि में यदि संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो संवेदक को डिबार करने की कार्रवाई की जाए। वर्ष 2022–23 की 2 योजनाओं में कार्य अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कार्यस्थल पर पानी का जमाव होने के कारण कार्य अवरूद्ध है। पानी घटने के पश्चात इन दोनों योजनाओं में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
6	जहानाबाद	वर्ष 2021–22 की योजनाएं पूर्ण हैं तथा 2022–23 की 2 योजनाओं में कार्य अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कार्यस्थल पर पानी का जमाव होने के कारण कार्य अवरूद्ध था। अब पानी घट चुका है तथा इन योजनाओं में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और एक माह में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2023–24 की 17 योजनाओं में से 16 योजनाएं अपूर्ण है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर अब पानी कम हो चुका है तथा इनमें से 14 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है एवं 2 योजनाएं निविदा प्रक्रिया में है।
7	अरवल	वर्ष 2022–22 की 1 योजना तथा 2023–24 की 5 योजना अपूर्ण संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कार्यस्थल पर पानी का जमाव होने के कारण कार्य अवरूद्ध था। अब पानी घट चुका है तथा इन योजनाओं में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
8	नवादा	वर्ष 2021–22 की 1 योजना तथा 2022–23 की 2 योजनाएं अपूर्ण है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर पानी का जमाव होने के कारण कार्य बंद था। अब पानी घट चुका है तथा इन योजनाओं में कार्य

		प्रारंभ कर दिया गया है और संवेदक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने समय दिया गया है। वर्ष 2023–24 की 44 योजनाओं में से 27 येाजनाएं अपूर्ण हैं। निदेश दिया गया कि इन योजनाओं में कार्य शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराया जाए।
9	हाजीपुर	वर्ष 2023–24 की 7 योजनाओं में से 5 योजनाएं अपूर्ण हैं। संबंधित सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि इनमें से 3 योजनाओं में लगभग 70 प्रतिशत तक कार्य हो गया है तथा 2 योजनाओं में कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा।
10	समस्तीपुर	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत सभी 6 योजनाओं में कार्य अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर पानी होने के कारण कार्य बंद था। अब पानी सूख गया है तथा कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा।
11	दरभंगा	संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा वर्ष 2023–24 में स्वीकृत 29 योजनाओं में से 20 योजनाएं अपूर्ण रहने के संबंध में बताया गया कि कार्यस्थल पर पानी का जमाव होने के कारण कार्य बंद था। अब पानी सूख गया है तथा कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा।
12	मधुबनी	वर्ष 2022–23 में स्वीकृत 12 योजनाओं में 10 योजनाएं तथा 2023–24 की 10 योजनाओं में 6 योजनाएं अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि धान का फसल लगे होने कारण कार्य बंद था। धान का फसल कटने के उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
13	भागलपुर	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत 12 योजनाओं में से 4 योजनाएं अपूर्ण है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इनमें से 2 योजनाएं निविदा प्रक्रिया में है तथा 2 योजनाओं में कार्य चल रहा है, जिसका कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
14	बांका	वर्ष 2022–23 में स्वीकृत 32 योजनाओं में से 5 योजनाएं अपूर्ण हैं। ये योजनाएं आहर–पईन की योजना है, जिनमें पर्यावरण एवं वन विभाग की जमीन है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस संबंध में पर्यावरण एवं वन विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 की 81 योजनाओं में से 35 योजनाएं अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इनमे से 5 योजनाएं निविदा प्रक्रिया में है तथा शेष योजनाओं में कार्य चल रहा है।
15	मुंगेर	वर्ष 2021–22 की 7 योजनाओं में से 1 योजना अपूर्ण है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना में मिट्टी का कार्य हो गया है एवं structure का कार्य बाकी है। संवेदक द्वारा structure का कार्य अब प्रारंभ किया गया है तथा 10 दिनों में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्ष 2022–23 की सभी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। वर्ष 2023–24 की 16 योजनाओं में से 3 योजनाएं अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इनमें से 1 योजना में जमीन की जमाबंदी से संबंधित परिवाद है। निदेश दिया गया कि इस हेतु अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराया जाए तथा तीनों योजनाओं में इस माह के अंत तक कार्य पूरा किया जाए।
16	शेखपुरा	वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की योजनाएं पूर्ण हैं। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023–24 में स्वीकृत 10 योजनाओं में से 6 योजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 4 योजनाओं में पानी लगे होने के कारण कार्य बंद था। पानी सूख जाने के उपरांत इन येाजनाओं में कार्य अब प्रारंभ हो चुका है।
17	लखीसराय	वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 6 योजनाओं में से 4 योजनाएं अपूर्ण है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इनमें से 4 योजनाओं की पुनर्निविदा

		पिछले वर्ष की गई है तथा उसके पश्चात कार्यस्थल पर पानी का जमाव हो जाने के कारण कार्य बंद था। अब पानी सूख चुका है और कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्ष 2022—23 की 8 योजनाओं में से 5 योजनाएं अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इनमें मिट्टी का कार्य हो चुका है तथा इन योजनाओं का कार्य माह दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्ष 2023—24 की 15 योजनाओं में से 9 योजनाएं अपूर्ण है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इन योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
18	जमुई	वर्ष 2021—22 की 1 योजना अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका कार्यस्थल पर्यावरण एवं वन विभाग की जमीन के अंतर्गत है। वर्ष 2022—23 की 10 योजनाएं अपूर्ण रहने के संबंध में बताया गया कि इनमें से 2 योजनाओं में जमीन का विवाद है, 2 योजनाएं पूर्ण हैं, जिसे पोर्टल पर अद्यतन किया जाना है तथा शेष 6 योजनाओं में कार्य बंद है, जिसके लिए संवेदक को नोटिस निर्गत किया गया है। यदि संवेदक द्वारा कार्य शीघ्र प्रारंभ नहीं किया जाता है तो संवेदक को डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2023—24 की 70 योजनाओं में से 55 योजनाएं अपूर्ण रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बाताया गया कि इनमें 4 योजनाओं के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद दायर है, 2 योजनाएं एकरारनामा प्रक्रिया में हैं तथा शेष योजनाओं में कार्य चल रहा है।

5. विभाग द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडलों को वर्ष 2019—20 से आवंटित की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई प्रमंडलों में काफी अधिक राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। कुछ कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित कोषागार को भेजे गए हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि प्रमंडल कार्यालयों द्वारा कोषागार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कोषागार द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन हेतु संबंधित कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर डी०सी० विपत्र का समायोजन सुनिश्चित कराएंगे।

(अनुपालन—श्री सुशांत कुमार, अपर सचिव/कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

6. विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिक एवं कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों का रोस्टर निर्धारित कर इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित करें।

(अनुपालन—विशेष सचिव/श्री सुशांत कुमार, अपर सचिव/मुख्य अभियंता, PMG, लघु जल संसाधन विभाग)

7. विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ई—ऑफिस लागू किया जाना है। इस हेतु संचिका/पत्रों के निष्पादन से संबंधित कर्मियों एवं पदाधिकारियों/अभियंताओं का ई—ऑफिस में आई०डी० create किया जाना है, जिसके लिए संबंधित कर्मियों के personal data की आवश्यकता होगी। विभागीय आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया गया कि इस हेतु google

doc में format तैयार कर data का संग्रहण करते हुए 10 दिनों के अंदर संबंधितों का आई०डी० create किया जाए।

(अनुपालन–श्री सुशांत कुमार, अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

17.11.24
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार

ज्ञापांक– 114/सचिव (प्रो०) /ल०ज०सं०वि०/पटना, दिनांक– 18/11/24

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/मुख्य अभियंता (योजना+अनु०+भू०), लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.11.24
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 114/सचिव (प्रो०) /ल०ज०सं०वि०/पटना, दिनांक– 18/11/24

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/अपर सचिव/संबंधित पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण/अधीक्षण अभियंता (योजना+स्थापना)/प्रभारी नलकूप कोषांग/कार्यपालक अभियंता (मु०) अनुश्रवण/आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.11.24
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग